2018/0087

~~2017 0083/2018~~

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

## पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 8 / 2011 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. घॉसीलाल पिता पांचूलाल जाति माली निवासी खण्डगांव (नौताडा) तहसील दीगोद जिला कोटा
1/1 हरगोविन्द पुत्र स्व0 घांसीलाल
1/2 प्रेमबाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/3 मोहनी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/4 सोहनी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/5 भूली बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/6 मनभर बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/7 गोविन्दी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/8 मन्जू बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/9 गायत्री बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/10. सुमित्रा बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/11. राजू बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
1/12 श्रीमती शक्ति बाई बेवा स्व0 घांसीलाल
जाति माली निवासीगण ग्राम खण्डगांव (नोताडा) तहसील दीगोद जिला कोटा
2. वन विभाग ( क्षेत्रीय वन अधिकारी ) वन खण्ड सुल्तानपुर

(अप्रार्थीगण)

## प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त करने नियमन

प्रकरण संख्या : 85 / 2017 (अपील)

उनवान

1. हरगोविन्द पुत्र स्व0 घांसीलाल
2. प्रेमबाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
3. मोहनी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
4. सोहनी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
5. भूली बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
6. मनभर बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
7. गोविन्दी बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
8. मन्जू बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
9. गायत्री बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
10.. सुमित्रा बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
11. राजू बाई पुत्री स्व0 घांसीलाल
12. श्रीमती शक्ति बाई बेवा स्व0 घांसीलाल

जाति माली निवासीगण ग्राम खण्डगांव (नोताडा) तहसील दीगोद जिला कोटा

– अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

– रेस्पोडेन्ट

**नायब तहसीलदार सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 10.03.2017 व इंतकाल नम्बर 2054 की अप्रसन्नता से अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधि0**

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक ( अप्रार्थीगण की ओर से )

**निर्णय दिनांक : 08.11.2019**

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद की ओर से अप्रार्थी क्रम 1 को किये गये नियमन एवं बिना किसी अधिकार के काबिज अप्रार्थी की गैरखातेदारी मे दर्ज आराजी ख0 नं0 808 रकबा 0.25 वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र सं0 8/2011 मय नियमन पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2015 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम सुल्तानपुर की आराजी ख0 नं0 808 रकबा 0.25 हैक्टयर अप्रार्थी के गैरखातेदारी से खारिज कर पुनः राजकीय सिवाय चक खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये ।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी नं0 1 के वारिसान द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 से अपील अपीलान्ट आंक्षिक रूप से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अपीलांट घांसीलाल के कायम मुकामान द्वारा अपील संख्या 85/2017 इस आश्य की प्रस्तुत की कि अपीलांटान के पिता को आवंटित आराजी ख0 नं0 528 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा का न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 24.09.2015 द्वारा आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा स्वीकार कर दिनांक 03.11.2015 को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा का निर्णय स्थगित किया फिर भी अपीलाधीन नामा0 दर्ज करने मे त्रुटि की गयी है जो निरस्त किया जाए ।

2. पत्रावली इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर पक्षकारान का सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया । वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कब्जा काश्त बाबत, हरिशंकर,बाबूलाल,मोहनलाल,रामदयाल, ओमप्रकाश, रमेशचन्द, महावीर,हीरालाल, जगदीश व रामू के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व खसरा गिरदावरी सं0 2046 से 2066 तक की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है ।

3. पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी के पिता व पति घांसीलाल को ग्राम सुल्तानपुर के साबिक ख0 नं0 528 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा का नियमन परगना अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 01.03.1969 को किया गया था । किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा समय पर रकम जमा नही कराने के कारण प्रार्थी की रिपोर्ट के अनुसार माननीय न्यायालय अति0 कलक्टर (उपनिवेशन) कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.78 से जमा राशि जप्त सरकार कर नियमन निरस्त कर दिया गया था । उक्त निर्णय की अपील अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 06.12.93 के द्वारा नियमन सशर्त बहाल रखा गया था । अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा रकम जमा करवा देने बाद खातेदारी हेतु निवेदन करने का मौका रिपोर्ट एवं रिकार्ड की स्थिति के अनुसार अप्रार्थी के नाम ग्राम सुल्तानपुर की हाल आराजी खसरा नं0 808 रकबा 0.25 है0 बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है । अप्रार्थी को गत खसरा नं0 528 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा नियमन किया गया था, जिसके नवीन ख0 नं0 771 रकबा 8.00 है0 तथा 806 रकबा 8.55 है0 बने है, जो वन विभाग के नाम दर्ज है । हाल खसरा नं0 808 रकबा 0.25 है0 पर अप्रार्थी बतौर गैरखातेदार दर्ज है, वह साबिक खसरा नं0 808 रकबा 0.25 है0 पर अप्रार्थी बतौर गैरखातेदार दर्ज है, वह साबिक खसरा नं0 529 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा से बना है । जबकि साबिक नम्बर 529 अप्रार्थी को नियमन ही नही किया गया है । अप्रार्थी के पक्ष मे नियमन आराजी ख0 नं0 वन विभाग की आराजी है और उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 10 (10) के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है । जिससे अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया नियमन विधि विरूद्व है । अप्रार्थी का हाल आराजी खसरा नं0 771 व 806 के किसी हिस्से पर कब्जा हो, ऐसा प्रमाणित नही है । अप्रार्थी हाल नम्बर 808 पर ही काबिज है जो उसे आवंटित नही हुआ है तथा इस पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते । खसरा नम्बर 771 व 806 वन विभाग की भूमि है । अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया नियमन विधि विरूद्व होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नही की जाने से नियमन निरस्तनीय है । अतः अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष मे किये गये नियमन कार्यवाही विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाई जावे तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.25 है0 पुनः राजकीय सिवाचचक खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे ।

5. अपील संख्या 8/2011 में वकील अप्रार्थी नं0 1 के कायम मुकामान ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी नियमन आराजी के वक्त जहां कब्जा दिया वही पर काबिज है आज भी काबिज है । प्रस्तुत कार्यवाही का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । प्रार्थी ने असत्य तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थना पत्र प्रार्थी 44 वर्षो बाद पेश किया है । जीवन यापन का एक मात्र सहारा है । अनेक बार खातेदारी के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर चुके है । राज्य सरकार या सेटलमेन्ट के कर्मचारियों की गलती की सजा अप्रार्थी को दी जा रही है । अगर रिकार्ड मे गलती है तो आन्तरनिहित शक्तियों का प्रयोग कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करें । अप्रार्थी की ओर कोई राशि बकाया नही है । आवंटन/नियमन आदेशों की पालना करता रहा है । न्यायहित मे खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का निवेदन किया गया ।

अपील संख्या 85/2017 में अप्रार्थी के कायम मुकामान हरगोविन्द वगे0 द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलांटान के पिता को ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0 नं0 528 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 01.03.1969 को नियमन की गई जिसकी पालना मे अपीलांटान के पिता काबिज होकर काश्त कर नियमन की पालना नियमित रूप से करते रहे बाद सेटलमेन्ट उक्त आराजी को नवीन खसरा नं0 808 रकबा 0.25 है0 कायम किया गया, जिसके विरूद्व तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय मे नियमन को निरस्त करने हेतु प्रकरण संख्या 8/2011

प्रस्तुत किया जो दिनांक 24.09.2015 को स्वीकार किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता से अपीलांटान द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की जिसमे दिनांक 03.11.2015 को माननीय न्यायालय के आदेश की पालना स्थगित र,खे जाने का स्थगन आदेश प्रदान किया जिसकी जानकारी रेस्पो0 को होने के बावजूद भी रेस्पो0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अवहेलना करते हुये इंतकाल व आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व इंतकाल निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

6. पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नं0 1 को ख0 नं.0 528 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का नियमन किया गया जिसके ख0 नं. 771, 806 कायम हुए जो वन विभाग की खातेदारी मे दर्ज है । ख0 नं0 808 रकबा 0.25 हैक्टर पर अप्रार्थी नं0 1 गैरखातेदार दर्ज है परन्तु उक्त नम्बर ख0 नं0 529 का कायम हुआ जो अप्रार्थी नं0 1 को आवंटन ही नही हुआ । अतः उक्त ख0 नं0 808 पर उसे गलत रूप से गैर खातेदार दर्ज किया है । सरवक्त भू प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल मे त्रुटि होना संभव है ।परन्तु चूंकि आराजी ख0 नं0 529 का नियमन अप्रार्थी नं0 1 को नही हुआ था । अतः आराजी खं0 नं0 529 से कायम ख0 नं0 808 अप्रार्थी घांसीलाल के गैरखातेदारी मे गलत रूप से अंकित होना साबित होता है तथा उस पर उसके किसी प्रकार के अधिकार होना सिद्व नही होते है। अतः तहसीलदार दीगोद का प्रार्थना पत्र संख्या 8/2011 स्वीकार किया जाकर ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद के ख0 नं0 808 रकबा 0.25 है0 पर अप्रार्थी नं0 1 की गैरखातेदारी से खारिज कर पुनः राजकीय सिवाय चक खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

अपील संख्या 85/2017 नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2015 की पालना में दिनांक 10.03.2017 को स्वीकार किया गया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 का है । अतः उक्त नामा0 संख्या 2054 दि0 10.03.2017 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 से पूर्व का है जो न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 24.09.2015 की पालना मे दर्ज किया गया । अतः इसमे भी किसी प्रकार की त्रुटि नही पाये जाने से अपील सं0 85/2017 खारिज की जाती है । यदि अप्रार्थी नं0 1 समझते है कि मिलान क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है तो नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे दायर कर इस संबंध मे अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

( नरेन्द्र गुप्ता )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा